न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम , आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व वाद 185 / 2006

वादीगण :–

1. श्रीमति ढलकी पुत्री राणाराम पत्नि सावंलराम जाति भील निवासी पिण्डारारण हाल जानियाना, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. श्रीमति बालकी पुत्री राणाराम
2. श्रीमति पानकी पुत्री राणाराम
3. श्रीमति कालकी पत्नि राणाराम
4. भल्लाराम पुत्र पतिया
5. गजाराम पुत्र पतिया
6. नारायण पुत्र पतिया
7. पाबूराम पुत्र पतिया
8. सोनाराम पुत्र पतिया
9. ढेवा पुत्र पतिया
10. मुस्मात राणकी पत्नि पतिया
11. शंकरीया पुत्र मगनाराम
12. सूजिया पुत्र मगनाराम
13. भारता पुत्र पांचीया
14. चन्द्राराम पुत्र पांचीया
15. श्रीमति फूलकी बेवा पांचीया
16. जोगाराम पुत्र पांचीया
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर

उपस्थित :– रूघाराम कडवासरा वादी वकील
श्री नरपत सिह भाटी प्रतिवादी वकील

आदेश

दिनांक :– 28.03.2018

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या –1 से 16 की सामलाती संयुक्त खातेदारी खसरा न0 105 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा, ख0न0 106 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा ख0 न0 116 रकबा 12 बीघा 15 विस्वा ख0 न0 119 रकबा 43 बीघा 6 विस्वा, ख0न0 124 रकबा 7 बीघा 17 विस्वा कुल भूमि 86 बीघा 19 विस्वा किस्म बिरानी अमल सरहद मौजा पिण्डारण तहसील पचपदरा में स्थिति है जिसमें वादीनी का 1/5 का 1/4 है जिस पर वादीनी का कदीमी कब्जा काश्त है।

वंशावली सजरा में अनुसार स्वः मगलाराम के पांच पुत्र पतिया,शंकरिया, सूजिया, पांचिया, राणा है। जिसमे पतिया का स्वर्गवास हो चूका है। जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 से 10 है एवं प्रतिवादी संख्या 11 व 12 स्वंय जिन्हे है एवं

सहायक कलेक्टर
बालोतरा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 13, 14, 15, 16

1, 2, 3 स्व0 राणा के वारिसान है वादीनी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार शादी-विवाह करते है एवं हिन्दू धर्म के सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार मरणोपरान्त दाह संस्कार किया जाता है एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूष के मरने पर हिन्दुओं के अनुसार उसके पुत्र व पुत्रियां भाई बहन के मध्य सम्पति का बटवाडा एवं हक स्वामित्व होता है एवं हिन्दू धर्म की रूढ़ियों के अनुसार दीर्घ कालीन पीढी दर पीढी हिन्दुओं के अनुसार सम्पति का बंटवाडा होता है हिन्दुओं की तरह उनका खान-पान एवं रीति रिवाज है। एवं वादीनी एवं प्रतिवादीबण के परिवार मीन जाति के है तथा अनुसूचित जन जाति होते हुवे भी उसके परिवार हिन्दु रूढ़ियों एवं प्रथा अपने सामाजिक कार्यो को सम्पन्न करते है एवं अपने आपको हिन्दू मानते है। इस लिए वादीनी एवं प्रतिवादीगण को पैतृक सम्पति में हिन्दु विधि के अनुसार हक हिस्सा प्राप्त होने से वादीनी के पिता राणाराम की मृत्यु के पश्चात वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या – 1 श्रीमति बालकी प्रतिवादी सं0 2 श्रीमति पानकी को उनके पिता राणाराम का वारिस होने से स्वतः हक-हिस्सा प्राप्त हो गया है। स्व राणाराम की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीनी संख्या 3 के वादीन एवं प्रतिवादीनी संख्या 1 व 2 पुत्रियां होते हुए भी राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर नामान्तरकरण केवल प्रतिवादी संख्या-3 कालकी ने वादग्रस्त भूमि का फौतगी का नामान्तरकरण भरकर अपने नाम स्वीकृत करवा दिया एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल बरावद करा दिया। जबकि कानूनी वादीनी एवं प्रतिवादीनी संख्या 1 व 2 एवं राणाराम के कानूनी वारिसान होते हुए भी उनके नाम वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में वादीनी का वादिनी का वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में

1/5 हिस्से का 1/4 हिस्सा का कब्जा काश्त हैं, एवं उक्त हिस्से की खातेदारी अपने नाम करने की अधिकारिनी है।

वादपत्र पद संख्या 1 में वर्णित भूमि पुस्तैनी व कब्जा सुदा है। वादीनी के हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या- 7 को जरिये रजिस्ट्री का दिये ऐसी स्थिति में वादीनी के द्वार अपने हिस्से को भूमि की खातेदारी घोषित करवाने हेतु खातेदारी अधिकारी की घोषणा का दावा लाना आवश्यक हुआ।

वादीनी के वाद पत्र के पद संख्या-1 मे वर्णित खसरा न0 105 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा, ख0प0 106 रकबा 19 बीघा 14 विस्वा खसीर न0 116 रकबा 12 बीघा 15 विस्वा, ख0 न0 119 रकबा 43 बीघा 6 विस्वा, ख0न0 124 रकबा 7 बीघा 17 विस्वा कुल भूमि 86 बीघा 19 विस्वा में 1/5 का 1/4 हिस्सा की खातेदारी अर्थात् 4 बीघा 9 विस्वा का खातेदार घोषित किया जावें एवं राजस्व रिकार्ड में इसी माफिक दुरस्ती कराने का आदेश फरमाऐ तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 7 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि वादीनी एवं प्रतिवादीनी संख्या 1 से 16 तक की पैतृक एवं कब्जा काश्त की है उससे वादीनी का 1/5 का 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त में प्रतिवादी संख्या 3 व 7 स्वंय या अपने प्रतिनिधि रिश्तेदार के द्वारा किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करे व न ही हस्तक्षेप करे। एवं प्रतिवादी संख्या-7 दिनांक 18.07.06 के बेचान रजिस्ट्री के आधार पर अपने नामान्तरकरण भरकर प्रतिवादी संख्या 17 स्वीकृत नहीं करावे।

प्रतिवादी संख्या 1, 2,11,12,13,14,15,व 16 ने अपना जवाब दिनांक 8.08.2006 को पेश कर वाद के तथ्यों का समर्थन करते हुए वाद पत्र के तथ्यों का समर्थन

सहायक कलेक्टर
बालोतरा

Scanned by CamScanner

करते हुए वाद पत्र में वर्णित खसरान को कुल भूमि 86 बीघा 19 विस्वा मौजा पिण्डारान में वादीनी का 1/5 का 1/4 हिस्सा की खातेदारी अर्थात 4 बीघा 9 विस्वा का खातेदार वादीनी को घोषित किये जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

तथा प्रतिवादीग संख्या 1 से 16 तक ने दिनांक 9.11.2006 को जबाब पेश किया व प्रतिवादी संख्या 3 बालकी देवी पत्नि स्व0 राणाराम ने अपने कब्जा का त व खातेदारी की कृषि भूमि का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 7 पाबूराम का जरिये रजिस्ट्री बैचान दिनांक 17.7.2016 को बएवज रूपये 52,000 के रकबा 17 बीघा 7 विस्वा कार कर दिया है तथा मगना के पुत्रों के नाम लिखे पुत्रीयों के नाम छिपाये है। प्रतिवादी संख्या– 3 का नाम दर्ज किया गया 35 वर्ष तक कब्जा काश्त रहा वादीनी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बालकी पानकी की शादी में तथा उनके बाद रोकड रकम प्राप्त कर वाद ग्रस्त आराजी का हक तर्क कर दिया था तथा विशेष विधिक आपतियां पेश की राणाराम का देहान्त संवत 2027 में हुआ तथा आराजी के शामिल 1/5 हिस्से पर वादीनी का लगातर कब्जा कास्त रहा वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपने हक हिस्से को विप्रार्थी संख्या 3 के हक तर्क कर त्याग चूकी है प्रतिवादी संख्या 7 ने प्रतिवादी संख्या –3 से दिनांक 17.7.2016 करे जरिये पंजयिल सुदा विक्रय विलेख से खरीद किया जो वर्तमान में काबिज काश्तकार है। विधिक रूप एक सद्भावी केता होने से किसी प्रकार की डिक्री पाने का हकदार नही है।

वादी व प्रतिवादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये विधिक आपतियों में पुत्रीयों द्वारा हक तर्क करना बताया जबकि हम तर्कनामा की प्रति पेश नहीं की गई।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गई वादी वकील ने वादीनी व प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दु परिवार का होना बताया तथा 2014 (1) आर.आर.जे 624 पेश की गई प्रतिवादी वकील ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियिम 1956 धारा 3 तथा आर.आर.डी0 जनवरी 2002 आर.आर.टी. 2014 (2), आर.आर.जे 2006(2) पेश की गई।

हमने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा प्रतिवादीगण के जबाब व उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों व बहस के दौरान प्रस्तुत ए.आर.टी व हिन्दू उतराधिकारी अधि0 1956 की धारा 3 का भली – भाति अध्ययन किया। व मगनाराम का परिवार संयुक्त परिवार होना जाहिर किया वह स्पष्ट है कि राणाराम के तीन पुत्रीयो व एक पत्नि जो वादीन व प्रतिवादीदनी संख्या 1, 2, 3 के राणाराम पर फौतदगी नामान्तरणकरण में वादीनी व वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, के नाम दर्ज होना चाहियें था जो नहीं हुआ प्रतिवादी संख्या 3 ने राणाराम का सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 प्रतिवादी संख्या 7 को गलत बेचान किया जबाब दावा में वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा हकतर्क नाम की प्रति सबूत में पेश नहीं की गई मगनाराम का परिवार एवं सयुक्त हिन्दू परिवार रहा व हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार पैतृक भूमि व सम्पति का विभाजन पीढी दर पीढी चलता आ रहा है। वाद ग्रस्त भूमि पैतृक व पुश्तैनी है।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

वादी ने अपने वाद पत्र मे कोई साक्ष्य पेश नही की है। न ही वाद में प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्श किया गया है। तथा वादीनी अनुसूचित जन जाति की सदस्या है। राणाराम के तीन पुत्रीया ही थी जायन्दा पुत्र नहीं था। राणाराम की पत्नि

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

कालकी व राणाराम ने न तो उक्त भूमि की वसियत की और न ही किसी को गोद लिया गया।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम 1956 धारा 2 (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसी जनजाति के सदस्यो को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति से लागू न होगी जब तक की केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्याथा निदिष्ट न कर दे। प्रतिवादी वकील ने आर. आर.डी जनवरी 2002 श्री बाई बनाम पान बाई व अन्य पेश की जिसका भी अवलोकन किया गया। कालकी की मृत्यु के बाद उसकी खातेदारी की भूमि में विरासत पाने की वादीनी अधिकारीनी नहीं रहती।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीनी का वाद पत्र न्याय संगत नहीं होने से वादीनी का वाद खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 का खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ [illegible])
उप[illegible]ड अ[illegible]री
बालोतरा